भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *15
उत्तर देने की तारीख 03.02.2025

असम में सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन और संरक्षण

***15. श्री मोहम्मद रकीबुल हुसैन :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम के धुबरी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विशेष रूप से क्षेत्र के पारंपरिक कला रूपों, भाषाओं और त्योहारों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए विशिष्ट पहल की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) धुबरी में सांस्कृतिक संस्थानों और कार्यक्रमों के लिए बुनियादी ढांचे और वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है, जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि स्थानीय कलाकारों, सांस्कृतिक पेशेवरों और संगठनों को आवश्यक संसाधन और सहायता सुलभ हो सके; और

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर असम की पहचान को बढ़ावा देने में सभी सांस्कृतिक और जातीय समुदायों की समावेशिता और उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'असम में सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन और संरक्षण' के संबंध में दिनांक 3 फरवरी, 2025 को श्री मोहम्मद रकीबुल हुसैन द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *15 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : धुबरी सहित असम के विभिन्न पारंपरिक कला रूपों और उत्सवों तथा इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने दो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) अर्थात उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनईजेडसीसी), दीमापुर और पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (ईजेडसीसी), कोलकाता स्थापित किए हैं और असम इन दोनों क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों का सदस्य राज्य है। ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र असम राज्य में वर्ष भर, नियमित आधार पर नृत्य, कार्यशाला, लोक और जनजातीय उत्सव आदि सहित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम और कार्यकलाप आयोजित करते हैं। विगत 5 वर्षों में असम में आयोजित किए गए कार्यक्रमों की सूची **अनुलग्नक-I** पर संलग्न **है**।

भारत के कैंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर, 2024 को असमिया भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान किया है।

(ख) : सरकार ने धुबरी सहित असम में सांस्कृतिक संस्थाओं और कार्यक्रमों के लिए अवसंरचना और वित्तपोषण को संवर्धित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय कलाकार, सांस्कृतिक व्यवसायी और संगठन आवश्यक संसाधनों और सहायता तक पहुंच कायम कर सके। संस्कृति मंत्रालय विभिन्न कैंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों का संचालन करता है, जिसके माध्यम से सांस्कृतिक संस्थाओं/व्यक्तिगत कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया **है**।

(ग): असम राज्य सहित देश के सभी सांस्कृतिक और नृजातीय समुदायों की समावेशिता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एनईजेडसीसी और ईजेडसीसी अपने सदस्य राज्यों के स्थानीय कलाकारों को देश भर में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए शामिल करते हैं, जिसके लिए उन्हें मानदेय, दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता, भोजन और आवास और स्थानीय परिवहन संबंधी भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत, अन्य क्षेत्रों/राज्यों के

कलाकारों को क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/उत्सवों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहां दर्शकों को विभिन्न क्षेत्रों के कला रूपों का आनंद लेने और समझने का अवसर प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, 8 से 11 फरवरी, 2024 तक राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में 'विविधता का अमृत महोत्सव' और 28 सितंबर से 6 अक्तूबर, 2024 तक राष्ट्रपति निलयम, हैदराबाद में 'भारतीय कला महोत्सव' का आयोजन एनईजेडसीसी के माध्यम से किया गया जिसमें असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गईं। इसी प्रकार, संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के सभी राज्यों के कलाकार एकजुट होते हैं और देश के विभिन्न भागों में अपनी प्रस्तुतियां देते हैं जिससे राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की पहचान को संवर्धित करने में सभी सांस्कृतिक और नृजातीय समुदायों की समावेशिता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। अब तक, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 14 आरएसएम और 04 क्षेत्रीय स्तर के आरएसएम आयोजित किए गए हैं, जिनका विवरण **अनुलग्नक-III पर** दिया गया **है**।

असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के कलाकारों और कारीगरों को एक विशिष्ट मंच प्रदान करते हुए, पूर्वोत्तर राज्यों की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा पूर्वोत्तर का एक उत्सव- ऑक्टेव आयोजित किया जाता है।

साहित्य अकादमी नियमित रूप से असमिया लेखकों, कवियों, विद्वानों और अनुवादकों को पूरे भारत में आयोजित साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है।

अकादमी की अनुवाद संबंधी राष्ट्रीय पहलों के माध्यम से असमिया साहित्य का सक्रिय रूप से अनुवाद और प्रचार किया जाता है।

ललित कला अकादमी (एलकेए) ने अपने क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता में बिहू लोक नृत्य, पुट्टीचित्र कला, पारंपरिक मुखौटे और चाय बागानों के दृश्यों के कलात्मक चित्रण सहित असमिया सांस्कृतिक घटकों को शामिल किया है। एलकेए असमिया कलाकारों को राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, शिविरों और कार्यशालाओं में मंच भी प्रदान करता है।

****

अनुलग्नक-I

'असम में सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन और संरक्षण' के संबंध में दिनांक 3 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *15 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत 5 वर्षों में असम में किए गए कार्यक्रमों की सूची

2019-20

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तारीख	कार्यक्रम का स्थान
i.	श्री श्रीबढ़ला पद्म आता 473वां जन्म शताब्दी समारोह	13-15 जून, 2019	पंजाबरी, गुवाहाटी, असम
ii.	महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव	19-21 सितंबर, 2019	नाट्य मंदिर नलबाड़ी, असम
iii.	मुखौटा बनाने पर कार्यशाला	21-30 सितंबर, 2019	तेजपुर, असम
iv.	हथकरघा से जातीय वेशभूषा, पारंपरिक परिधान निर्माण पर कार्यशाला	21-30 सितंबर, 2019	तेजपुर, असम
v.	बेंत और बांस शिल्प पर कार्यशाला	21-30 सितंबर, 2019	तेजपुर, असम
vi.	पारंपरिक ड्रम बनाने पर कार्यशाला	21-30 सितंबर, 2019	तेजपुर, असम
vii	पंचकला उत्सव - 2019	18-20 अक्टूबर, 2019	गुवाहाटी, असम

viii.	सरायकेला छऊ नृत्य पर कार्यशाला	4-10 नवंबर, 2019	सोनपुर, असम
ix.	लंगखोन फुजा मिशवा नृत्य पर कार्यशाला	8-14 नवंबर, 2019	मोरीगांव, असम
x.	अंतरराज्यीय लोक एवं जनजातीय नृत्य महोत्सव	21-23 नवंबर, 2019	सोनपुर, असम
xi.	स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छता कार्यक्रम)	20 फरवरी, 2020	असम

2020-21

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	तारीख	कार्यक्रम का स्थान
i.	सत्रीय नृत्य प्रस्तुति	22 से 24 मई, 2020	ऑनलाइन
ii.	असम में लोक संस्कृति उत्सव	28 सितंबर, 2020	ऑनलाइन
iii.	पूरबरंगा राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव	7-9 दिसंबर, 2020	गुवाहाटी, असम

2021-22

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तारीख	कार्यक्रम का स्थान
i	एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी)	12 मई, 2021	ऑनलाइन
ii.	असम का लोक संस्कृति उत्सव	17 मई, 2021	ऑनलाइन
iii.	असम का लोक संस्कृति उत्सव (भाग-2)	05 जून, 2021	ऑनलाइन
iv.	असम का लोक संस्कृति उत्सव (भाग-III)	19 जून, 2021	ऑनलाइन

v.	असम का लोक संस्कृति उत्सव (भाग-IV)	04 जुलाई, 2021	ऑनलाइन
vi..	असम का लोक संस्कृति उत्सव (भाग-V)	24 जुलाई, 2021	ऑनलाइन
vii.	स्वच्छ भारत और कोविड-19 पर प्रोडक्शन ओरिएंटेड थिएटर कार्यशाला	21-30 अगस्त, 2021	डिब्रूगढ़, असम
viii.	असम का लोक संस्कृति उत्सव (भाग-VI)	29 अगस्त, 2021	ऑनलाइन
ix.	पूर्वोत्तर राज्यों के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन	13 और 14 सितंबर, 2021	गुवाहाटी
x.	पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रियों के सम्मेलन की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक संध्या	13 और 14 सितंबर, 2021	गुवाहाटी, असम
xi.	गुवाहाटी में रंगमंच कार्यशाला	13-22 सितंबर, 2021	गुवाहाटी, असम
xii	कामरूपिया धुलिया पर कार्यशाला	25 सितंबर - 4 अक्टूबर, 2021	नलबाड़ी, असम
xiii	राष्ट्रीय स्तर का रंगमंच महोत्सव	28 अक्टूबर, 2021	लखीमपुर, असम
xiv.	संगीत स्तुति	25 दिसंबर, 2021	लखीमपुर, असम
xv.	बिहू महोत्सव	3-5 फरवरी, 2022	बारीहाट, असम
xvi.	एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी)	3 मार्च, 2022	नोगांव, असम

2022-23

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	तारीख	कार्यक्रम का स्थान
i.	प्रायोगिक शिक्षण सम्मेलन - 2022	1 अप्रैल, 2022	गुवाहाटी, असम
ii.	आइनाम और बियानाम पर कार्यशाला	1-10 सितंबर, 2022	जोरहाट, असम
iii.	असम के लोकगीतों पर कार्यशाला	9-18 सितंबर, 2022	नलबाड़ी, असम
iv.	स्वच्छता पखवाड़ा	3 अक्टूबर, 2022	डिब्रूगढ़, असम

2023-24

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	तारीख	कार्यक्रम का स्थान
i.	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	21 जून, 2023	कामरूप, असम
ii..	संगीत स्तुति 2023	10 अगस्त, 2023	टेओक, असम
iii.	अंकिया झुमुरा पर कार्यशाला	26 अगस्त, 2023	शिवसागर, असम
iv.	निर्माण उन्मुख नाटक कार्यशाला	3 सितंबर, 2023	गुवाहाटी, असम
v.	रंगमंच कार्यशाला सह नुक्कड़ नाटक	5 सितंबर, 2023	गुवाहाटी, असम
vi..	अंकिया झुमुरा पर कार्यशाला	9 सितंबर, 2023	शिवसागर, असम

*****

अनुलग्नक-II

'असम में सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन और संरक्षण' के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *15 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मंच कला ब्यूरो, संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित स्कीमें

1. **गुरू-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)**

इस स्कीम का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा नियमित आधार पर प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अनुसार, रंगमंच क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता और संगीत और नृत्य क्षेत्र में 01 गुरू और अधिकतम 10 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है। कलाकार की आयु के आधार पर सहायता की राशि- गुरु के लिए 15000/- रु. प्रतिमाह, शिष्य के लिए 2000-10000/- रुपए प्रतिमाह है।

2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता: इस स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

i. **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

देश में कला और संस्कृति के संवर्धन में शामिल राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों का संवर्धन और उन्हें सहायता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के तहत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है जिसे विशेष परिस्थितियों में 5.00 करोड़ रुपये तक ब़ढ़ाया जा सकता है।

ii. सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपए का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष परिस्थितियों में 20 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iii. हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए तक होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iv. बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00 लाख रुपए प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

v. स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपए तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

vi. संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम उप-घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपए।

vii. स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव' के लिए सहायता प्रदान करना है।

3. टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम का उद्देश्य मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत), प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों, ग्रीन रुम आदि सुविधाओं और अवसंरचना युक्त सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थलों के सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों/निकायों, नगर निगमों, प्रतिष्ठित गैर-लाभ-अर्जक संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम घटक मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रबीन्द्र भवन, रंगशालाओं) के जीर्णोद्धार, नवीकरण, विस्तार कार्य, परिवर्तन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण आदि के लिए सहायता भी प्रदान करता है। सामान्यत: इस स्कीम घटक के अंतर्गत, किसी परियोजना के लिए अधिकतम 15 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय वित्तीय सहायता, कुल अनुमोदित लागत का 90 प्रतिशत होगी और कुल अनुमोदित परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार/पूर्वोत्तर परियोजनाओं हेतु एनजीओ या संबंधित संगठन द्वारा वहन किया जाएगा तथा एनईआर को छोड़कर, केन्द्रीय सहायता और राज्य के हिस्से (समतुल्य हिस्सा) का अनुपात 60:40 है।

4. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम : स्कीम के निम्नलिखित तीन घटक शामिल हैं:

i. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग (कनिष्ठ) और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग (वरिष्ठ) के उत्कृष्ट व्यक्तियों को प्रत्येक बैच वर्ष में सांस्कृतिक शोध के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपये प्रतिमाह और 20,000/- रुपये प्रतिमाह की 400 तक अध्येतावृत्तियां (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) प्रदान की जाती है। अध्येतावृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

ii विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

प्रत्येक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत; भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूक अभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों के लिए 5000/- रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

iii. सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस स्कीम घटक का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और देश में मान्यताप्राप्त अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना और सशक्त बनाना है ताकि विद्वानों/शिक्षाविदों को प्रोत्साहित करते हुए इन संस्थाओं के साथ आपसी हित की परियोजनाओं पर स्वयं को संबद्ध किया जा सके। इसके अंतर्गत अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए 15 तक अध्येतावृत्तियां (80,000/-रुपये प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) और 25 तक छात्रवृत्तियां (50,000/-रु. प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति 04 बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

5. **वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयोवृद्ध कलाकारों, जिनकी वार्षिक आय 72000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो, को प्रति माह 6000/- रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। स्कीम के अंतर्गत पात्र होने के लिए यह अनिवार्य है कि कलाकारों ने अपनी सक्रिय आयु में कला, साहित्य आदि के अपने विशेष क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में वित्तीय सहायता पति/पत्नी को हस्तांतरित की जाती है।

6. सेवा भोज योजना

'सेवा भोज योजना' की स्कीम के अंतर्गत धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं को जनता को मुफ्त भोजन वितरित किए जाने के लिए विशिष्ट कच्ची खाद्य सामग्रियों की खरीद पर उनके द्वारा भुगतान किए गए केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और केन्द्र सरकार के एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में की जाती है। सेवा भोज योजना के अंतर्गत गुरुद्वारा, मंदिर, धार्मिक आश्रम, मस्जिद, दरगाह, गिरजाघर, मठ, बौद्ध मठ आदि जैसे धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं द्वारा वितरित किए जाने वाले मुफ्त 'प्रसाद' या मुफ्त भोजन या मुफ्त 'लंगर'/'भंडारा' (सामुदायिक रसोई) आदि शामिल हैं।

अनुलग्नक-III

' असम में सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन और संरक्षण ' के संबंध में दिनांक 3 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *15 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव / क्षेत्रीय स्तर के राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव

राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव

क्रम सं.	वर्ष	कार्यक्रम का स्थान
1	2015	दिल्ली (आईजीएनसीए)
2	2016	दिल्ली (आईजीएनसीए)
3	2016	उत्तर प्रदेश (बीएचयू, वाराणसी)
4	2017	कर्नाटक (बेंगलुरु)
5	2017	अरुणाचल प्रदेश (तवांग)
6	2017	गुजरात (अहमदाबाद)
7	2018	कर्नाटक (हुबली, बेंगलुरु और मैंगलोर)
8	2018	मध्य प्रदेश (ग्वालियर, भोपाल और इंदौर)
9	2018	उत्तराखंड (टिहरी)
10	2019	मध्य प्रदेश (जबलपुर, सागर और रीवा)
11	2021	पश्चिम बंगाल (कूच बिहार, दार्जिलिंग और मुर्शिदाबाद)
12	2022	आंध्र प्रदेश (राजमुंदरी) और तेलंगाना (वारंगल और हैदराबाद)

13	2023	महाराष्ट्र (मुंबई)
14	2023	राजस्थान (बीकानेर)

क्षेत्रीय स्तर के राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव

क्र. सं.	**वर्ष**	**कार्यक्रम का स्थान**
1	2023	राजस्थान (कोटा)
2	2023	दिल्ली (सेंट्रल पार्क)
3	2023	महाराष्ट्र (पुणे)
4	2024	तेलंगाना (हैदराबाद)

*****